मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि.

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप
प्रधानमंत्री कुसुम 'अ' योजना में पंजीयन की नवीन सरलीकृत
पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक चयन प्रक्रिया

पी.एम. कुसुम योजना घटक 'अ' के अंतर्गत मध्यप्रदेश के वितरण कम्पनियों के चिन्हित 33/11 केवी सब स्टेशनों से जुड़ने वाले 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु सौर ऊर्जा उत्पादको का खुली, पारदर्शी एव प्रतिस्पर्धात्मक सतत् प्रक्रिया द्वारा चयन।

No: MPUVN/KUSUM-A/2023-24/1574

Date: 18/07/2023

द्वारा जारी :–

मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि. (MPUVNL)

ऊर्जा भवन, लिंक रोड़ नं. 2, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016

दूरभाष नं.: +91-755-2553595, 2556566

ईमेल – pmkusuma.mpuvn1982@gmail.com

प्रधानमंत्री कुसुम 'अ' योजना अंतर्गत परियोजना स्थापना हेतु पंजीयन की नवीन सरलीकृत पारदर्शी सतत् एवं प्रतिस्पर्धात्मक चयन प्रक्रिया योजना

प्रधानमंत्री कुसुम 'अ' योजना के अंतर्गत, कृषकों द्वारा उनकी अनुपयोगी/बंजर/कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा सकेगी। परियोजना से उत्पादित विद्युत, शासन द्वारा क्रय की जाएगी जिससे कृषकों को नियमित आय होगी। DISCOM द्वारा प्रदेश के वितरण कंपनियो द्वारा चिन्हित सबस्टेशनों, जिसकी सूची सर्वसूचनार्थ म. प्र. ऊर्जा विकास निगम की वेब साईट पर प्रकाशित होगीं, पर उक्त संयंत्र अधिमानतः (preferably) सबस्टेशन के 5 किमी की परिधि में स्थापित किये जा सकेंगे।

योजना के तहत् कृषक अपनी कृषि संबंधित भूमि में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कर उत्पादित ऊर्जा शासन को विक्रित कर सकेंगे। योजना में यह भी प्रावधानित है कि यदि कृषक सौर ऊर्जा संयंत्र के लिये आवश्यक वित्तीय व्यवस्था कर पाने में असमर्थ हैं तो आपसी समन्वय व सहमति से अपनी भूमि द्विपक्षीय अनुबंध (किसान और विकासक/ निवेशक के मध्य) द्वारा लीज रेन्ट पर देकर, जो रूपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष के अनुसार निर्धारित होगी अथवा रूपये प्रति यूनिट उत्पादित विद्युत प्रति एकड़ के अनुसार तय कर, निवेशक के माध्यम से संयंत्र की स्थापना कर सकेंगे, जिसकी संस्थापना, संचालन एवं रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी विकासक/ निवेशक की होगी। इस वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा यह योजना कृषक की नियमित आय का साधन बनने में सहायक हो सकेगी।

म. प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु संयंत्रों की स्थापना हेतु आवेदक, जिन्हें चयन के बाद Solar Power Generator (SPG) कहा जायेगा, का चयन ऑनलाईन खुली, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक, सतत् पंजीयन_प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इस प्रक्रिया का समय–समय पर मूल्यांकन एवं संशोधन किया जा सकेगा।

1. आवेदक :–

योजना के अंतर्गत आवेदक_कृषक/कृषकों के समूह/कृषक उत्पादक संगठन/जल उपभोक्ता संघ/पंचायत/ कृषि संबंधी संस्थान इत्यादि या कोई विकासक/ निवेशक (लीज की भूमि पर संयंत्र स्थापना के लिये) हो सकता है।

2. सौर संयंत्रों की अनुमत (मान्य) क्षमता की सीमा :–

योजना के अंतर्गत एक सबस्टेशन पर एक आवेदक द्वारा 500 KW से 2 MW क्षमता तक के एक संयंत्र स्थापना हेतु आवेदन किया जा सकेगा तथापि एक आवेदक एक से अधिक सबस्टेशन पर भी संयंत्र स्थापना हेतु आवेदन कर सकेगा।

3. चिन्हित सबस्टेशन :–

योजना के अंतर्गत DISCOMs (विद्युत कंपनियों) द्वारा चिन्हित सबस्टेशनों की उपलब्ध क्षमता सहित सूची यथा संशोधन, निगम की वेबसाईट http://www.mprenewable.nic.in/ पर सर्वसूचनार्थ योजना के लागू रहने तक सतत् उपलब्ध है। यदि आवेदक उक्त सूची में नये सबस्टेशन जुड़वाना चाहते है तो उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध "Format for request to add new substation" में जानकारी भरकर ईमेल आईडी– pmkusuma.mpuvn1982@gmail.com पर आवेदन कर सकते है, जो संबंधित DISCOM से सकारात्मक Feasibility report प्राप्त होने पर जोड़ा जा सकेगा।

जिन सबस्टेशनों पर चयन उपरांत परियोजना आवंटन कर दिया जायेगा, उन पर शेष उपलब्ध क्षमता सहित सूची पृथक से निगम की वेबसाईट पर प्रदर्शित होगी।

4. विद्युत क्रय अनुबंध (PPA) :-

योजनांतर्गत चयनित सोलर पॉवर जेनेरेटर्स (SPG) द्वारा उत्पादित विद्युत को 25 वर्षों तक ''विद्युत क्रय अनुबंध'' (PPA) के तहत् शासन (MPPMCL) द्वारा क्रय किया जायेगा। PPA प्रपत्र निगम की वेबसाईट पर भी सर्वसूचनार्थ सतत् उपलब्ध हैं।

5. विद्युत क्रय सीलिंग टैरिफ :–

कुसुम योजना के घटक 'अ' के तहत् नवीन प्रक्रियानुसार स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत को 25 वर्षीय कालावधि के लिये म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित एवं विनियमित स्तरीकृत उच्चतम (prefixed levelized ceiling tariff) टैरिफ वर्तमान में रूपये 3.07/– प्रति यूनिट निर्धारित है।

6. पात्रता / अर्हता :–

अ). स्वविकास मॉडल – कृषक/कृषकों के समूह/कृषक उत्पादक संगठन/जल उपभोक्ता संघ/पंचायत/ कृषि संबंधी संस्थान इत्यादि, जिनके स्वयं के नाम पर कृषि भूमि हो जिस पर परियोजना स्थापित किया जाना है।

ब). विकासक/ निवेशक मॉडल –रु. 1 करोड़ प्रति मेगावॉट की दर से (आवेदित क्षमता के अनुसार) नेटवर्थ।

7. सरलीकृत ऑनलाईन पंजीयन प्रक्रिया

योजना में चयन खुली पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक एवं सतत् प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

i. प्रक्रिया अंतर्गत इच्छुक एव पात्र आवेदक, प्रत्येक माह की 1 तारीख से 15 तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे । उपरोक्त अवधि में प्राप्त सभी आवेदनों का एक समान प्राथमिकता के आधार पर पात्रता/अर्हता आधारित मूल्यांकन किया जायेगा। यह प्रक्रिया योजना के लागू होने तक सतत् जारी रहेगी।

ii. प्रत्येक माह की 1 तारीख से 15 तारीख तक प्राप्त आवेदनों का पात्रता/अर्हता आधारित परीक्षण एवं मूल्यांकन, माह की 16 तारीख से माह की अंतिम तिथि तक या परीक्षण एवं मूल्यांकन पूर्ण होने तक, जो भी बाद में हो, किया जायेगा एव सफल आवेदनों पर सक्षम निर्णय किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की प्रक्रिया सतत् जारी रहेगी ।

iii. विद्युत कंपनियों द्वारा चिन्हित सबस्टेशनों के आस–पास सौर संयंत्र लगाने के इच्छुक कृषक/कृषकों के समूह/कृषक उत्पादक संगठन/जल उपभोक्ता संघ/पंचायत/ विकासक/निवेशक इत्यादि म.प्र. ऊर्जा विकास निगम की वेबसाईट http://www.mprenewable.nic.in/ पर उपलब्ध Google Form के लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदक को आवेदन करते समय निम्नलिखित जानकारी आवेदन के साथ अपलोड करनी होगी :–

अ. भू–अधिकार पुस्तिका व खसरा
ब. भूमि की रजिस्ट्री
स. आधार कार्ड
द. पैन कार्ड
इ. आवेदन शुल्क ऑनलाईन जमा करने का प्रमाण
ई. नेटवर्थ (यदि लागू हो तो) के समर्थन में chartered accountant द्वारा प्रमाणित दस्तावेज।

नोट :– यदि आवेदक विकासक / निवेशक है तो उसकी नेटवर्थ (रु. 1 करोड़ प्रति मेगावॉट) की जानकारी सत्यापन हेतु प्राप्त की जायेगी।

iv. आवेदन हेतु शुल्क रूपये 5000 + 18 % GST = 5900/- प्रति मेगावॉट की दर से आवेदक को निगम के खाते में ऑनलाइन (NEFT/RTGS) जमा करना होगा, निगम के बैंक खाते का विवरण निम्नानुसार है :–

a)	Account Holder Name	:-	M. P. Urja Vikas Nigam Ltd.
b)	Bank Name	:-	ICICI Bank Ltd.
c)	Bank Branch Address	:-	Shivaji Nagar, Bhopal
d)	Account No.	:-	656501700049
e)	IFSC Code	:-	ICIC0006565
f)	MICR Code	:-	462229012

v. ऑनलाइन आवेदनों का परीक्षण किया जाकर उपयुक्त पाये जाने पर 07 दिवस की अवधि में आवेदक को सूचित किया जावेगा। आवेदक के लिये आवश्यक होगा की वह सूचना जारी दिनांक की 15 दिवस की अवधि में दस्तावेजों की मूल प्रति भौतिक सत्यापन हेतु निगम के प्रधान कार्यालय में प्रस्तुत करे। यदि आवेदक के आवेदन में कोई कमी पायी जाती है तो आवेदक को निश्चित समय सीमा में उस कमी को पूर्ण करने का अवसर उपलब्ध रहेगा।

vi. इस सरलीकृत खुली, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक सतत् प्रक्रिया द्वारा परियोजना आवेदकों के चयन मे के आवेदनों के ऑनलाईन आवेदन पर स्वतः अंकित Time stamp को भी वरीयता के निर्धारण में माना जायेगा।

vii. कोई भी पात्र आवेदक एक या एक से अधिक सबस्टेशन पर आवेदन कर सकते हैं।एक सबस्टेशन पर एक आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे सभी आवेदनों का नियमानुसार जांच एवं मूल्यांकन के उपरांत अर्हता पूरा करने वाले आवेदकों को योजना में शामिल किया जायेगा।

viii. यदि किसी सबस्टेशन पर उपलब्ध क्षमता से अधिक आवेदन प्राप्त होते है तो, उस सबस्टेशन पर आवेदक/आवेदकों का चयन, आवेदकों से बंद लिफाफे में प्राप्त न्यूनतम दर (जो कि prefixed levelized ceiling tariff के समान अथवा उससे कम होगी) तथा न्यूनतम दर से आरोही क्रम (ascending order) में प्राप्त दरों के आधार पर Bucket filling पद्धति से सबस्टेशन पर उपलब्ध क्षमता की सीमा में, आवेदकों का चयन किया जायेगा। यदि आवेदकों द्वारा समान दर quote की जाती हैं तो–

अ. आवेदकों की आपसी सहमति से उनके मध्य सबस्टेशन पर उपलब्ध क्षमता को split कर आवंटन किया जा सकेगा।

ब. विषम या अनअपेक्षित परिस्थितियों में चयन/आवंटन पर अंतिम सक्षम निर्णय, प्रबंध संचालक, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. का होगा।

ix. दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन उपरांत उपयुक्त पाये जाने की सूचना निगम से प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर आवेदक को, उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 7 (iv) पर उल्लेखित निगम के खाते में, रूपये 1,00,000/– प्रति मेगावॉट की दर से (आवेदित क्षमता के अनुसार) Bid Security /EMD जमा कराकर निगम को प्रमाण प्रस्तुत करना होगा । तद्उपरांत निगम द्वारा 07 दिवस की अवधि में लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) जारी किया जायेगा।

x. लेटर ऑफ अवार्ड जारी होने के 30 दिवस में आवेदक को MPPMCL के साथ PPA निष्पादन हेतु निम्नलिखित कार्यवाहियाँ करनी होंगी :–

अ. MPPMCL को देय Performance Bank Guarantee (PBG) रूपये 1,00,000/– प्रति मेगावॉट की दर से प्रस्तुत करनी होगी।

ब. परियोजना स्थापना हेतु आवश्यक संपूर्ण भूमि की जानकारी प्रस्तुत करना होगा।

स. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग में, Madhya Pradesh RE Policy 2022 के तहत रजिस्ट्रेशन शुल्क, रूपये 1,09,000/– प्रति मेगावॉट (GST सहित) की दर से बिन्दु क्र. 7 (iv) पर उल्लेखित निगम के खाते में जमा करनी होगी।

8. अन्य प्रावधान

अ. आवेदक द्वारा MPPMCL को देय PBG प्रस्तुत किए जाने पर उसके द्वारा पूर्व में जमा कराई गई Bid Security/EMD वापस की जाएगी।

ब. उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा सभी वांछित दस्तावेज म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में जमा किये जाने पर Power Purchase Agreement (PPA) निष्पादन हेतु म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी को प्रस्तुत किया जायेगा।

स. परियोजना की स्थापना/ क्रियान्वयन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) भारत सरकार के दिशा–निर्देश F.No.32/645/2017-SPV Division दिनांक 22.07.2019, तत्संबंधी समय–समय पर अधिसूचित संबंधित संशोधनों एवं राज्य शासन के लागू प्रावधानों के अनुसार होगा। आवेदक/सोलर पावर जनरेटर (एस.पी.जी.) का दायित्व होगा कि वह राज्य शासन एवं स्थानीय निकायों से तत्संबंधी आवश्यक अनुमतियॉ प्राप्त करे। परियोजना का क्रियान्वयन पी.पी.ए. के निष्पादन के 9 माह की सीमा के भीतर किया जाना होगा।

द. परियोजना संचालन/ रख–रखाव आवेदक एवं म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लि. के मध्य निष्पादित 'विद्युत क्रय अनुबंध' (PPA) के अधीन होगा।

इ. चयन एवं क्रियान्वयन संबंधी विशेष परिस्थितियों में योजना के दिशा–निर्देशों की परिसीमा में यथोचित निर्णय लेने का अधिकार प्रबंध संचालक, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. का होगा।

ई. आवेदन उपरांत चयन हेतु एवं PPA निष्पादन हेतु आवश्यक दस्तावेज जमा कराने की निर्धारित समय–सीमा को बढ़ाने या अन्य आवश्यक गतिविधियों से संबंधित समय–सीमा में परिवर्तनों का सम्पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. का होगा।